भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2993
दिनांक 22.03.2022/ 1 चैत्र, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

संघ राज्यक्षेत्रों में रिक्त पद

2993. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुच्छेद 370 तथा 35-क के हटाने के पश्चात् सरकार ने जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों में सभी रिक्त पद भरने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्रों में इससे अनुमानतः कितने युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): सरकार ने जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए अगस्त, 2019 से अनेक कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:

क. <u>जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में</u>

i) सरकार ने पारदर्शी तरीके से भर्ती अभियान शुरू किया है, जिसके लिए जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में राजपत्रित, अराजपत्रित एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को अभिज्ञात करने के लिए और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक "त्वरित भर्ती समिति (एआरसी)" गठित की गई थी।

लो.स.अता.प्र.सं. 2993

ii) तदनुसार, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न विभागों में 26330 पदों को अभिज्ञात किया गया है और भर्तियां शुरू कर दी गई हैं। वर्तमान में, 11,324 राजपत्रित, अराजपत्रित एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के संबंध में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

ख. लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने रिक्त पदों को भरने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें से कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:

i) जिला संवर्ग के 613 पदों को भरा गया है।

ii) लद्दाख पुलिस में 293 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन दिया गया है।

iii) जेके बैंक के 45 रिक्त पदों हेतु लद्दाख के अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन दिया गया है।

iv) इसके अलावा, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने यूटी/डिवीजनल संवर्ग के पदों पर भर्ती करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के साथ तालमेल किया है। तदनुसार, 829 यूटी/डिवीजनल संवर्ग के पद भर्ती हेतु कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को सौंपे गए हैं। जिला संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए, "लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) अधिनियम" के तहत गठित जिला कर्मचारी चयन बोर्ड पहले से ही अस्तित्व में है। सभी संबंधित मांग प्राधिकारियों (रिक्वीजशनिंग अथोरिटीज) को सीधी भर्ती कोटे के रिक्त पदों को भरने के लिए अपनी मांग, संबंधित भर्ती एजेंसियों को भेजने के निर्देश दिये गए है।

******